

कार्यालय मेदिनीनगर नगर निगम।

ज्ञापांक दिनांक

आम- सूचना

प्रेस विज्ञप्ति

मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सभी छोटे बड़े व्यवसायियों को सूचित किया जाता है कि Jharkhand Municipal Act, 2011 अधिनियम की धारा 455 के तहत Trade License बनवाना अनिवार्य है।

तदनुसार, निदेश दिया जाता है कि एक सप्ताह तक मेदिनीनगर नगर निगम के सभी छोटे बड़े व्यवसायिक, सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठान Trade License बनवाना सुनिश्चित करें। अन्यथा विपरित आदेश के आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

Trade License संबंधित विवरणी निम्न प्रकार से है :-

1. 0 से 100 Sq-Ft के क्षेत्रफल वाले प्रतिष्ठान - 300 रु० प्रतिवर्ष
2. 101 से 500 Sq-Ft के क्षेत्रफल वाले प्रतिष्ठान - 500 रु० प्रतिवर्ष
3. 501 से 1000 Sq-Ft के क्षेत्रफल वाले प्रतिष्ठान - 1500 रु० प्रतिवर्ष
4. 1001 Sq-Ft से उपर के क्षेत्रफल वाले प्रतिष्ठान - 2500 रु० प्रतिवर्ष

आवश्यक कागजात

1. Trade License Form
2. Aadhar Card/Pan/Driving License/Voter ID Card
3. Holding Tax Receipt/Rent Agreement

ज्ञापांक 3475 दिनांक 31/08/2018

कार्यपालक पदाधिकारी
मेदिनीनगर नगर निगम

प्रतिलिपि :- सूचना पट्ट पर साटकर एवं विभागीय Website www.udhd.gov.in में अवलोकनार्थ प्रेषित।

कार्यपालक पदाधिकारी
मेदिनीनगर नगर निगम